न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—182/2012/223 (2012/00027)

1. गजराजसिंह पुत्र रामरतन मालवीया (कलाल), निवासी जालिया द्वितीय, हाल मुकाम भवर बाड़ी, विजयनगर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर।
2. रमेशचन्द पुत्र रामरतन मालवीया (कलाल), नि0 जालिया द्वितीय तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती हगामी देवी पत्नी सूरजमल मेवाड़ा, निवासी तेजा चौक बजरंग कॉलोनी, विजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर । **(मृतक नाम तर्क)**
2. रामप्रसाद पुत्र सूरजमल मेवाड़ा, नि0 तेजा चौक बजरंग कॉलोनी विजयनगर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
3. महावीर प्रसाद पुत्र सूरजमल मेवाडा, नि0 बलवीर कॉलोनी, राजकीय नारायण उच्च मा0 विद्यालय के खेल के मेदान के पीछे विजयनगर ।
4. श्रीमती पारस देवी पत्नि ताराचंद पुत्री सूरजमल मेवाड़ा, निवासी बलवीर कॉलोनी राजकीय उच्च मा0 विद्यालय के खेल मैदान के पीछे,विजयनगर, जिला अजमेर ।
5. नरेन्द्र पुत्र ताराचंद मेवाड़ा, उम्र 16 साल नाबालिग जरिये बबिलायत माता श्रीमती पारस देवी पत्नि ताराचंद पुत्री सूरजमल मेवाड़ा, निवासी बलवीर कॉलोनी राजकीय नारायण उच्च मा0 विद्यालय के खेल मैदान के पीछे, विजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
6. यशवंत पुत्र ताराचंद मेवाड़ा, उम्र 8 साल नाबालिग जरिये बबिलायत माता श्रीमती पारस देवी पत्नि ताराचंद पुत्री सूरजमल मेवाड़ा, निवासी बलवीर कॉलोनी, राजकीय नारायण उच्च मा0 विद्यालय के खेल मैदान के पीछे, विजयनगर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
7. सोनू पुत्री ताराचंद मेवाड़ा, उम्र 13 साल नाबालिग जरिये बबिलायत माता श्रीमती पारस देवी पत्नि ताराचंद पुत्री सूरजमल मेवाड़ा, निवासी बलवीर कॉलोनी राजकीय नारायण उच्च मा0 विद्यालय के खेल मैदान के पीछे, विजयनगर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती सुमित्रा पुत्री सूरजमल, निवासी तेजा चौक बजरंग कॉलोनी विजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
10. नायब तहसीलदार,/उपपंजीयक, विजयगनर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 29.7.2011 अंतर्गत वाद संख्या 28/2009.

उपस्थितः—

1. श्री माधवराज सिंह, वकील अपीलांटस।
2. श्री अरविन्द कराड़िया, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4 से 8.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 व 10

निर्णय

दिनांकः— 14.06.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.7.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88 व 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा केसरपुरा तहसील मसूदा में प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 1 के गैर खातेदारी हक के खाता संख्या 198 पर संवत् 2058 से 2061 की जमाबंदी में आराजी संख्या 592 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा स्थित है । प्रतिवादी नंबर 1 वादीगण के मासाजी लगते थे जो पिछले करीब 50 वर्षो से वादी के ही शामिल सरिक में ही रहे थे, इस कारण उक्त आराजी वादीगण के पिता ने स्वंय उनके नाम पर दर्ज करवाई थी, जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त व उपभोग नहीं रहा है व न ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी ने काश्त ही की है बल्कि वादी ही आराजी मुतनाजा पर पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 7.2.1976 से लगातार काबिज होकर वादी का कब्जा मुखालफाना हो चुका है, अतः वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर विपक्षी का नाम रिकार्ड से हटाया जावे तथा वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जारने की आज्ञाप्ति पारित की जावे । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद पोषणीय नहीं होने निर्णय दिनांक 29.7.2011 द्वारा खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की मंशा को पूर्ण रूप से न समझकर आदेश 7 नियम 11 में वर्णित आधारों को देखे बिना अपीलांटस वादीगण का वाद सरसरी तौर पर निरस्त करने में भूल की है । अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का वाद मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना दर्ज कर प्रेषित किया गया था व इस तथ्य की जांच पक्षकारों की गवाही लेकर ही की जा सकती थी, किन्तु अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी तौर पर आराजी मुतनाजा को आवंटित भूमि मानकर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं मानने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर गत् 50 वर्षो से अपीलांटस अपनी माताजी के साथ रहकर काबिज चले आ रहे है व पारिवारिक बंटवारा दिनांक 7.2. 1976 से उक्त भूमि वादीगण के हिस्से में आई व तब से वादीगण काबिज चले आ रहे है । इन समस्त तथ्यों की जांच केवल तनकी कायम करके साक्ष्य ली जाकर ही की जा सकती थी किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद केवल मात्र तकनीकी आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस अभिभाषक द्वारा उनके समक्ष उद्धरित कानूनी नजीरों की कोई विवेचना भी नहीं की है । यह भी कथन किया कि

प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा पेश कर दिया था इसके उपरांत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करना विधिसंगत नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को वादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे । ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के विरूद्ध अपीलांटस ने समयावधि में अपील प्रस्तुत कर दी थी किन्तु अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 29.7.2011 में उनवान में सूरजमल के वारिसों को दर्ज नहीं कर सूरजमल का ही नाम दर्ज किया हुआ था, अतः प्रार्थीगण के अभिभाषक ने सहवन से सूरजमल का नाम दर्ज कर अपील प्रस्तुत कर दी थी, जबकि सूरजमल का अधी0न्याया0 के समक्ष ही देहांत हो गया था व उनके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी लग चुका था । अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर विपक्षी अधिवक्ता के आपत्ति उठाये जाने पर प्रार्थीगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष मृतक सूरजमल के वारिसानों को अपील में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दोनों पक्षकारान की बहस सुनकर हाजा न्यायालय ने प्रार्थीगण को अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रसतुत होने के कारण नई अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए नई अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दिनांक 13.3.2012 को दी जिस पर प्रार्थीगण के अभिभाषक ने तुरंत दिनांक 14.3.2012 को नई नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 16.3.2012 को नई नकल दी गई व दिनांक 17 व 18 का अवकाश होने से प्रार्थीगण ने शीघ्र ही यह नई अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्य1, 2, 4 से 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमिया प्रारंभ से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है एवं प्रतिवादीगण के पिता के समय से रेस्पो0 काबिज काश्त चले आ हे है । विवादित भूमि कभी भी अपीलांटस व रेस्पो0 के शामिल नहीं रही है । अपीलांटस ने रेस्पो0 को हैरान परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है । अपीलांटस का पारिवारिक बंटवारा होने का कथन भी असत्य है । वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया है उक्त आधार पर कानूनन वाद संधारण योग्य नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से रेस्पो0 का आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सदभाविक है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने इस आधार पर वाद पेश किया था कि आराजी खसरा नंबर 592 रकबा 10 बीधा 13 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 1 वादीगण के मासाजी लगते थे जो 50 वर्षो से वादी के

साथ शामिल सरिक में ही रहे थे, इस कारण उक्त आराजी वादीगण के पिता ने स्वंय उनके नाम दर्ज करवाई थी जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि आवंटित होकर रेस्पो0 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस/वादीगण का वाद संधारण योग्य नहीं मानकर खारिज किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस का वाद केवल अपीलांटस के पिता द्वारा रेस्पो0 के पिता के नाम अंकन करवाने के काल्पनिक आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है किन्तु उक्त आधार उचित नहीं है क्योंकि विवादित भूमि प्रारंभ से रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद आधारहीन होने से अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व दिनांक दिनांक 29.7.2011 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

c

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 14.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर